वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन संबंधी संक्षेपिका

1. वनमंडल	–	उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना
2. वन परिक्षेत्र	–	अजयगढ़
3. वनखण्ड	–	उदयपुर
4. वनखण्ड का अधिसूचित रकबा	–	2081.00 एकड़ या 842.170 हेक्टेयर
5. वन कक्ष क्रमांक	–	पी–188
6. वन कक्ष का रकबा	–	361.56 हेक्टेयर

7. परियोजना का नाम एवं विवरण – **मध्यम सिंचाई परियोजना मझगांय :–** सर्वप्रथम आवेदक संस्थान कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के संबंध में पत्र क्र0/174 दिनांक 21.01.2013 **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–1)** के माध्यम से पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 15000 का बैंकर्स चैक क्र0–103549 दिनांक 21.01.2013 संलग्न कर इस कार्यालय में अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम की चैक लिस्ट अनुसार न होने के कारण मूलतः कार्यालयीन पत्र क्र0/मा0चि0/902 दिनांक 01.02.2013 **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–2)** के माध्यम से कमियों की पूर्ति कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बावत मूलतः प्रेषित किया गया। किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया, वल्कि पत्र क्र0/2430ए दिनांक 17.08.2013 के माध्यम से प्रस्तावित डेम एवं डूब क्षेत्र को 1:50000 स्केल के मानचित्र पर चिन्हित कर पन्ना टाईगर रिजर्व, गगंऊ अभ्यारण एवं बफर जोन की दूरी संबंधी इस कार्यालय से प्रमाण पत्र चाहा गया। जिसके संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र0/मा0चि0/5162 पन्ना दिनांक 23.08.2013 **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–3)** के माध्यम से डेम/डूब से प्रभावित होने वाली वनभूमि का उल्लेख करते हुये आवेदक संस्थान को अवगत कराया गया। तदोपरांत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा पत्र क्रमांक/2382 दिनांक 14.08.2013 **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–4)** के माध्यम से मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब अन्तर्गत कोई वन नही है, संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई।

आवेदक संस्थान द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के अवलोकन करने पर **''उपरोक्त प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा कूट रचित तरीके से तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया ही प्रतीत हुआ''** क्योंकि उपरोक्त प्रमाण पत्र में श्री अमित दुबे भा0व0से0 तत्कालीन वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना के हस्ताक्षर दर्शाये गये है। श्री अमित दुबे 15 जुलाई 2012 को ही वनमंडल उत्तर पन्ना से भारमुक्त हो चुके थे और आवेदक संस्थान का प्रथम प्रस्ताव वनमंडल उत्तर पन्ना में 21 जनवरी 2013 को प्राप्त हुआ, इसके पूर्व उपरोक्त योजना के संबंध में कोई पत्राचार आदि कार्यालयीन अभिलेखो में नही पाया गया।

उपरोक्त प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र0/मा0चि0/341 दिनांक 20.01.2014 के माध्यम से श्री अमित दुबे भा0व0से0 तत्कालीन वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना से जानकारी ली गई, उनके द्वारा पत्र क्र0/स्टेनों/14/49 भोपाल दिनांक 25.01.2014 **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–5)** से अवगत कराया कि **''उनके द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है व जो प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह बिना कार्यालयीन मुद्रा के है जो संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है''।**

इसी प्रकरण में प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा पत्र क्र0/121/प्र.स./2013 भोपाल दिनांक 23.08.2013 के माध्यम से कलेक्टर पन्ना से बिन्दुवार प्रतिवेदन चाहे जाने पर कलेक्टर पन्ना द्वारा पत्र क्र0/2152/भू–अर्जन/2013 दिनांक 24 अगस्त 2013 से निर्देश जारी कर बिन्दुवार डूब में आने वाली वनभूमि एवं विस्थापित होने वाले परिवारों के संबंध में संयुक्त रूप से जानकारी तैयार कर चाही गई। वन एवं राजस्व अभिलेखो का मिलान पश्चात डूब में शामिल कुल 1241.410 हे0 भूमि में से खसरेवार मिलान किये जाने पर 575.630 हे0 वनभूमि पाई गई जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) में अधिसूचित व्यवस्थापनाधीन वनभूमि है तथा राजस्व अभिलेखो में दर्ज जंगल मद की भूमि शामिल पाई गई। जिसका संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक 02.09.2013 **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–6)** तैयार किया गया। उपरोक्त प्रतिवेदन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अजयगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के संयुक्त हस्ताक्षर अंकित है।

पुनः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अजयगढ़ द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक/337 दिनांक 04.02.2014 के माध्यम से ग्रामवार, खसरेवार सूची तैयार कर इस कार्यालय में प्रेषित की गई। **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–7)** जिसके गोशवारा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अजयगढ़, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना अनुविभागीय अधिकारी सिंहपुर बैराज अजयगढ़, तहसीलदार अजयगढ़, उपयंत्री, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है। जिसमें वनक्षेत्र 227.460 हे0 लेख किया गया है। उपरोक्त सूची के सत्यापन में वन विभाग की कोई भूमिका नही है।

प्रभावित भूमि के संबंध में जिला स्तर पर निराकरण न होने के कारण वीडियों कान्फ्रेंस के दौरान जिला मुख्यालय पर सचिव वन एवं कमिश्नर कमांड एरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक दि0 26.05.2014

के पश्चात राजस्व मानचित्र पर परियोजना की सीमा अंकित कर वास्तविक प्रभावित वनभूमि की गणना के निर्देश प्राप्त हुये। तदोपरांत प्रमुख सचिव वन के समक्ष दिनांक 05.06.2014 को यह प्रमाणित हुआ कि उक्त परियोजना में 404.08 हे0 संरक्षित वनक्षेत्र तथा 22.683 हे0 वन अधिकार पत्र धारियों के लिये शामिल करते हुये क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव जल संसाधन संभाग प्रस्तुत करेगा। (छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–8)

आवेदक संस्थान द्वारा पत्र क्र0/1551 दिनांक 27.08.2014 के माध्यम से 404.08 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर कार्यालयीन पत्र क्र0/5745 दिनांक 03.09.2014 के माध्यम से मूलतः वापस भेजते हुये आवेदक संस्थान को भारत शासन की वेवसाईड पर ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत लेख किया गया। **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–9)**

आवेदक संस्थान द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पत्र क्र0/173/कार्य/वनभूमि/2015 दिनांक 07.02.2015 द्वारा 05 प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत वरिष्ठ कार्यालय से प्रस्ताव ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 24.02.2015 को इस कार्यालय में प्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र क्र0/397 दिनांक 24.04.2015 के माध्यम से 04 प्रतियों में वरिष्ठ की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। तदोपरांत कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्र0/एफ–3/45/2014/10–11/5/1531 भोपाल दिनांक 28.05.2015 से प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र0/1822 पन्ना दिनांक 21.12.2015 के माध्यम से पुनः प्रेषित किया गया। जिसपर पुनः कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्र0/एफ–3/45/2014/10–11/5/311 भोपाल दिनांक 03.02.2016 से प्रस्ताव में पाई गई कमियां/त्रुटिया की पूर्ति कर प्रस्ताव प्रेषित करने बावत निर्देश प्राप्त हुये, जिसकी बिन्दुवार पूर्ति कर प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र0/480 दिनांक 08.03.2016 के माध्यम से प्रेषित किया गया।

8. उल्लंघनाधीन भूमि की वैधानिक स्थिति **–8.1** पन्ना जिला 01 नवम्बर 1956 में म.प्र. राज्य पुनर्गठन के पूर्व रीवा राज दरबार के अन्तर्गत रहा जहां **रीवा फारेस्ट एक्ट 1935** लागू था। उक्त एक्ट की धारा 29 में ऐसी वनभूमि (Forest Land) एवं अनुपयोगी पड़त भूमि वनभूमि (Waste Land) जो आरक्षित वन (Reserve Forest) में शामिल नही थे, को संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने की शक्ति राज दरबार के प्रास निहित थी।

8.2 रीवा राज दरबार की अधिसूचना क्रमांक 124 दिनांक 06 फरवरी 1937– राज दरबार द्वारा ऐंसी वन भूमि एवं पड़त भूमि जो आरक्षित वन में शामिल नहीं थी, को संरक्षित वन घोषित किया गया।

8.3 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20–अ (4) के तहत् म0प्र0 राज्य में संविलियन के फलस्वरूप रीवा राजदरबार सहित अधिसूचित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत् संरक्षित वन माना गया है।

8.4 म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक/11000–3046–दस दिनांक 16 अक्टूबर 1967 – संरक्षित वनखण्ड उदयपुर रकबा 842.170 हेक्टेयर को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत् अधिसूचित किया गया।

8.5 इस प्रकार प्रकरणाधीन भूमि 06 फरवरी 1937 से अधिसूचित संरक्षित वन रहा है। अतः भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 1 की उपधारा (2) के प्रावधान वन भूमि होने के कारण उक्त भूमि पर लागू नहीं होते हैं।

9. आवेदन का संक्षिप्त विवरण – **9.1** मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में उत्तर वनमंडल पन्ना के संरक्षित वन कक्ष क्र0पी–177, पी–181, पी–188, पी–189 एवं पी–190 तथा पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर झोन के संरक्षित वन कक्ष क्र0पी–182 की कुल वनभूमि 426.763 हे0 प्रभावित हो रही है।

10. FCA उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण– आवेदक संस्थान द्वारा योजना की स्वीकृति के पूर्व ही पत्र क्रमांक/1307 दिनांक 09.05.2013 द्वारा कार्य ऐजेन्सी को कार्य करने की अनुमति जारी की गई है। **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–10)** योजना में प्रभावित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी–188 में आवेदक संस्थान द्वारा भारत शासन की पूर्व अनुमति के बिना बण्ड निर्माण का कार्य कराया गया है जिस पर संबंधित कार्य ऐजेन्सी का कार्य कराने वाले श्री राहुल सिंह यू.वी.एन. इन्फ्रा स्ट्रकचन कम्पनी रायपुर एवं श्री बृजेश गुप्ता उपयंत्री सिंहपुर बैराज उप संभाग क्र0–2 अजयगढ़ जल संसाधन विभाग के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)ख के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक/1513/08 दिनांक 09.07.2015 पंजीबद्ध किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–11)**।

11.वर्तमान स्थिति – **11.1** आवेदक संस्थान को बिना औपचारिक अनुमति कार्य न करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में मौके पर कार्य बंद है।

11.2 उपरोक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा किये गये कार्य पर जांच परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जा कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें 1161300.00 रूपये क्षति राशि आवेदक संस्थान से वसूली हेतु अनुरोध किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न है सहपत्र–12)**

वन मंडलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

स.क्र. 01

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

पत्र कं0 174 /कार्य/वनभूमि–अर्जन/ पन्ना दिनांकः– 21/11/2013

प्रति,

वनमंडल अधिकारी (उत्तर)
वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

विषयः– मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि प्रकरण प्रस्तुत करने बावत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे वनभूमि के निराकरण हेतु योजना का वनभूमि प्रकरण तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है। (कार्य्र निदि)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
पन्ना (म0प्र0)

पृ0 कं0 /कार्य/ वनभूमि–अर्जन/ पन्ना दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

व.म.अ.
उ.पन्ना आ.व.म.पन्ना

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना (सा.) आ. 623 25-11-13

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना (सा.) वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक / मा0चि0 / 2013 / 902 पन्ना, दिनांक 1-2-2013

प्रति,

कार्य पालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
पन्ना (म0प्र0)

विषय :— भापतपुर मध्यम सिचाई परियोजना, मझगाय मध्यम सिचाई परियोजना हेतु वन भूमि प्रकरण प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ :— आपका पत्र क्र0 / 175 दिनांक 21.01.2013 एवं 174 दिनांक 21.01.2013

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु व्ययपवर्तित होने वाली वन भूमि के प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किये गये है। जिनका अवलोकन इस कार्यालय द्वारा किया गया जिसमें शासन द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार आवेदन पत्र की पूर्तिया नही की गई है। व आवेदित क्षेत्रों के मानचित्र भी संलग्न नही किये गये है।

अतः आपके द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव पूर्ति हेतु मूलतः भेजे जा रहे है। कृपया शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत चैक लिस्ट अनुसार बिन्दुवार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि आपके प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- मूलत: प्रस्ताव 2 प्रति में

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर पन्ना वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

Deks./Latter 13 Machi

Fax:-07732-254060 E-mail :- dfotnpanna@mp.gov.in
Mob.No. 9424791150 dfonorth@rediffmail.com
dfonpanna@mpforest.org

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

सं-3

पन्ना,दिनांक 23-8-2013

क्रमांक/मा0चि0/2013/5162

प्रति,

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
संभाग पन्ना म0प्र0

विषय :– इस कार्यालय के अधीनस्थ प्रस्तावित मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना से पन्ना टाईगर रिजर्व, केन घड़ियाल/गगंऊ अभ्यारण एवं बफर जोन क्षेत्र से दूरी का प्रमाण–पत्र प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0/2340 'ए' पन्ना, दिनांक 17.08.2013

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अनुभाग अजयगढ़ अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना के संबंध में दूरी संबंधी प्रमाण–पत्र चाहा गया। जिसमें आपके आवेदन के साथ संलग्न मानचित्र 1:50000 स्केल जिसमें डेम क्षेत्र व डेम के डूब क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। जिसमें दिये गये जी.पी.एस. क्वार्डिनेट अनुसार डेम क्षेत्र एवं डेम के डूब क्षेत्र को वनमंडल में उपलब्ध टोपोसीट पर चिन्हित किया गया। जिसमें प्रस्तावित स्थल की निम्नानुसार दूरी पाई गई।

1. प्रस्तावित डेम व डेम का डूब क्षेत्र वन कक्ष क्र0पी–177, पी–181, पी–182, पी–188, पी–189, पी–190 के अन्तर्गत पाया गया.। जिसमें डूब क्षेत्र में लगभग 500.00 हे0 वनक्षेत्र पाया गया।
2. प्रस्तावित क्षेत्र के डूब में आने वाले कक्षों में कक्ष क्र0पी–182 पन्ना टाईगर रिजर्व के अधिसूचित बफर जोन के अन्तर्गत आता है। अतः प्रस्तावित क्षेत्र की बफर जोन से दूरी का प्रश्न ही नही है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र केन घड़ियाल अभ्यारण से लगभग 6.00 कि0मी0 दूरी पर है।
4. प्रस्तावित क्षेत्र गगंऊ अभ्यारण से लगभग 8.00 कि0मी0 दूरी पर है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व से लगभग 10.100 कि0मी0 दूरी पर है।

23/8/13

(डॉ.एस.के. गुप्ता)
वनमंडलाधिकारी,
उत्तर वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

Desktop/Machi Latter - 2013

सं. 3

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना (म.प्र.)

पन्ना,दिनांक 17/8/13

4

क्रमांक / 2430A / कार्य / 2013 /

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल उत्तर पन्ना

विषय :– इस कार्यालय के अधिनस्थ प्रस्तावित मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना से पन्ना टाईगर रिजर्व, केन घड़ियाल / गगंऊ अभ्यारण एवं बफर जोन क्षेत्र से दूरी का प्रमाण–पत्र प्रदाय करने बावत्

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र0 / 2430 दिनांक 17.08.2013

विषयांतर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा अनुभाग अजयगढ़ अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना प्रस्तावित की गई है। जिसमें अग्रिम कार्यवाही हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा डैम क्षेत्र व डूब क्षेत्र की पन्ना टाईगर रिजर्व, केन घड़ियाल / गगंऊ अभ्यारण एवं बफर जोन से प्रस्तावित क्षेत्र की दूरी संबंधी प्रमाण–पत्र चाहा गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित परियोजना में अग्रिम कार्यवाही हेतु दूरी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके।

संलग्न :– प्रस्तावित योजना का मानचित्र।

(हस्ताक्षर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

DM
DFO

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल सं[illegible]भाग पन्ना (म0प्र0)

E-Mail :- waterpanna@gmail.com, Ph[illegible]7732) 252075

पत्र कं0 2384/कार्य/वन भूमि /2013

पन्ना,दिनांकः– 14/8/2013

प्रति,

वनमंडल अधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना,
जिला पन्ना (म0प्र0)

विषयः– **मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील एवं विकासखण्ड अजयगढ़ जिला पन्ना के लिये प्रमाण पत्र की आवश्यकता।**

––00––

विषयांतर्गत अवगत कराया जाता है कि इस संभाग अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील एवं विकासखण्ड अजयगढ़ में प्रस्तावित है। इस परियोजना के केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से अनुमोदन हेतु "डूब क्षेत्र में कोई भी वन प्रभावित नहीं हैं" इस आशय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। इस तारतम्य में आपके द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

अतएव सादर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(आर0सी0 तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म0प्र0)
पन्ना दिनांकः–

पृ0 कं0 /कार्य/वन भूमि /2013

प्रतिलिपिः–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के सादर अनुरोध सहित सम्प्रेषित।

(2) मुख्य अभियंता, धसान केन कछार सागर की ओर सादर सूचनार्थ।

(आर0सी0 तिवारी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म0प्र0)

सहपत्र: उपरोक्तानुसार

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना (म0प्र0)
आ.क्र. 5115
29-8-13

DM
DFO
21/8

सं-4

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील एवं विकासखंण्ड अजयगढ जिला–पन्ना (म0प्र0) के डूब क्षेत्र मे कोई भी वन प्रभावित नही है।

वन मंडलाधिकारी,
उत्तर पन्ना (सा0) वन मंडल प्रन्ना (म0प्र0)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
(म0प्र0)

स.क्र.5

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, इछावर क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमंडल

59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/स्टेनो/14/49 भोपाल, दिनांक 25-01-2014

प्रति

स्पीड पोस्ट

डॉ. एस. के गुप्ता
वनमंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

विषय— मझगॉय मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील एवं विकासखण्ड अजयगढ़ जिला पन्ना के संबंध में डूब क्षेत्र में कोई भी वन प्रभावित नहीं है, के प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भ— 1 आपका पत्र क्रमांक/मा.चि/2014/341 दिनांक 20-01-2014
2 आपके कार्यालय का फैक्स दिनांक 20 जनवरी 2014

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी एवं संलग्न प्रमाण पत्र बाबत जो वस्तुस्थिति आधारित जानकारी चाही गई है निम्नानुसार है—

1 वनमंडलाधिकारी, उत्तर पन्ना में मेरी पदस्थिति अवधि के दौरान मझगॉय मध्यम सिंचाई परियोजना से संबंधित जल संसाधन विभाग पन्ना द्वारा प्रेषित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। अतः बिना किसी प्रस्ताव के किसी भी तरह के विचार अथवा प्रक्रिया वनमंडल स्तर पर होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

2 संलग्न प्रमाण पत्र बगैर कार्यालयीन मुद्रा के है, जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इसकी जॉच किया जाना आवश्यक है।

3 मेरे द्वारा इस तरह का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

(अमित कुमार दुबे)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
इछावर क्षतिपूर्ति वनीकरण
वनमंडल, भोपाल

D M
[illegible]
8/1/01/2/14

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन.प. — आ. 192 — 01-2-14

D:\Office_doc\Steno_09\Letter_steno.doc

अ.प्र-5

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

FAX 0755 2761768

क्रमांक / मा0चि0 / 2014 / 341

पन्ना, दिनांक 20-01-2014

प्रति,

श्री अमित दुबे (भा0व0से0)
~~वनमंडल इच्छावर~~ कार्यपालन वनीकरण, वनमंडल
(म0प्र0) भोपाल (म0 प्र0)

विषय :– मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना तहसील एवं विकासखण्ड अजयगढ़ जिला पन्ना के संबंध में डूब क्षेत्र में कोई भी वन प्रभावित नही है के प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना का पत्र क्र0 / 2382 / कार्य / वनभूमि / 2013 पन्ना दिनांक 14.08.2013

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना तहसील एवं विकासखण्ड अजयगढ़ जिला पन्ना अन्तर्गत डूब में कोई भी वन प्रभावित नही होती है का प्रमाण पत्र आपके हस्ताक्षर युक्त इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्राप्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। कृपया पुष्टि करने का कष्ट करे कि क्या उपरोक्त प्रमाण पत्र आपके द्वारा जारी किया गया है अथवा नही किया गया है। ताकि उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र।

17/1/14
(डॉ.एस.के. गुप्ता)
वनमंडलाधिकारी,
उत्तर वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

O/c

18

252029

Desktop/Machi Latter - 2014

बेटी हमें बचाना है,। हर घर में वृक्ष लगाना है।।

प्र.क्र. 7
सं-6

संयुक्त जॉच प्रतिवेदन

ग्राम मझगांय बहुउद्‌देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं वन भूमि तथा विस्थापन होने वाले परिवारों की संख्या और उनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की जानकारी के संबंध में :–

प्रपत्र–1

1. राजस्व भूमि का विवरण :–

a. शासकीय राजस्व भूमि	–	146.060 है0
b. शासकीय राजस्व भूमि (जंगल कैफियत दर्ज़).	–	36.920 है0
कुल योग (a+b)		182.980 है0

2. निजी भूमि का विवरण :–

a. निजी खाते की भूमि	–	459.980 है0
b. निजी खाते में राजस्व भूमि (जंगल मद की)	–	22.820 है0
कुल योग (a+b)		482.800 है0

3. वन भूमि का विवरण :–

a. वन खण्ड की भूमि (वन व्यवस्थापन की कार्यवाही अंतर्गत)	–	293.880 है0
b. वन खण्ड की भूमि (निजी पट्टे पर)	–	281.750 है0
कुल योग (a+b)		575.630 है0
महायोग (1+2+3)		1241.410

25/1/13
वनमंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल
पन्ना

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
अजयगढ़ जिला पन्ना

29/1/13
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन
संभाग पन्ना

सं. 7

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

क्रमांक / /रीडर –1/भू–अर्जन/2014 अजयगढ़, दिनांक 04 फरवरी 2014

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला पन्ना (म0प्र0)
(भू–अर्जन)

विषय :– मझगांय बहुउद्देशीय मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं विस्थापन होने वाले परिवारों की संख्या और उनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार की जानकारी के संबंध में।

संदर्भ :– प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभागी भोपाल का पत्र क्र/121/प्र.स./2013 भोपाल दिनांक 23.08.2013 एवं आपका पत्र क्र0 2152/भू–अर्जन/2013 पन्ना दिनांक 24 अगस्त 2013

—— o0o ——

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मझगांय बहुउद्देशीय मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि की जानकारी निम्नानुसार तैयार कराई जाकर अवलोकनार्थ सलंग्न प्रेषित है।

1		राजस्व भूमि का विवरण			
	अ	शासकीय राजस्व भूमि	–	331.730	हे0
	ब	शासकीय राजस्व अनसर्वेयर्ड भूमि	–	129.740	हे0
	स.	खाते की (निजी) राजस्व भूमि	–	693.990	हे0
		योग		**1155.460**	हे0
2.		राजस्व वन सीमा सर्वेक्षण के दौरान नक्शो के डाली गई हरी लाईन के अंदर वन भूमि			
	अ	शासकीय भूमि (प्रचलित वन व्यवस्थापन कार्यवाही के अंतर्गत)	–	153.240	हे0
	ब	खाते की (निजी) भूमि (प्रचलित वन व्यवस्थापन कार्यवाही के अंतर्गत)	–	73.760	हे0
		योग		**227.000**	हे0
		महायोग	1+2	**1382.460**	हे0

वन व्यवस्थापन के पट्टे दर्ज होने बावत क्षेत्रफल जो हरी लाईन के अंदर वन भूमि हैं		वनाधिकार अधिनियम के तहत दी गई भूमि का क्षेत्रफल	
संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
6	7.960 हे0	10	20.870 हे0

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक /337 /रीडर –1/भू–अर्जन/2014 अजयगढ़, दिनांक 04 फरवरी 2014

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मण्डल पन्ना।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

D:\Raj\SDM\Reder Ist\Bhu_Arjan\normal latter.doc

सं. 8

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब में आने वाली वनभूमि का वनखण्ड अनुसार गोशवारा

रकबा हे0 में

क्र.	नक्शे में दर्शाया क्षेत्र	ग्राम का नाम	वनखण्ड का नाम जिसमें कालम क्र. 3 में दर्शाये ग्राम शामिल हैं	वनखण्ड में शामिल एवं डूब में प्रस्तावित वनभूमि	कालम क्र. 5 में दर्शाई वनभूमि में राजस्व अभिलेखों में दर्ज पट्टों की भूमि का रकबा	कालम क्र. 5 से कालम क्र. 6 को घटाने पर शुद्ध वन क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
1	(ए)	मझगांय	मझगांय	122.23	30.98	91.25
2	(बी)	मझगांय	देवराभापतपुर "बी"	165.37	76.25	89.12
3	(सी)	मझगांय	उदयपुर	56.86	42.04	14.82
4	(डी)	बनहरीकला	देवराभापतपुर "बी"	85.26	62.65	22.61
5	(ई)	बनहरीकला	बड़ी बनहरी (अनसर्वेड)	129.74	0.00	129.74
6	(एफ)	बनहरीकला	बड़ी बनहरी	3.53	1.33	2.22
7	(जी)	कुअरपुर	मझगांय	96.51	42.17	54.34
			योग	659.50	255.42	404.08

नोटः— कालम क्र. 6 में दर्शाये रकबा में से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त वनाधिकार पत्रों में दर्ज भूमि होने की दशा में उतनी भूमि को कालम क्र. 7 में दर्शायी भूमि में शामिल किया जायेगा।

हल्का पटवारी
कुअरपुर

हल्का पटवारी
अजयगढ़

अनुविभागीय अधिकारी
सिंगपुर बैराज
अजयगढ़

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग

5/6/14
अनुविभागीय
अधिकारी/वन
व्यवस्थापन अधिकारी
अजयगढ़

5/6/14
वनमंडलाधिकारी
उत्तर पन्ना

दिनांक 05.06.2014

Fax:-07732-254060 E-mail :- dfotnpanna@mp.gov.in
Mob.No. 9424791150 dfonorth@rediffmail.com
dfonpanna@mpforest.org

सं-9 (13)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

क्रमांक / मा0चि0 / 2014 / 5745 पन्ना, दिनांक 3/9/2014

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पंन्ना

विषय :– पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखण्ड अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना का वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत् ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0 / 1551 दिनांक 27.08.2014

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना से संबंधित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्र0 / 11–232 / 2014–एफ.सी. दिनांक 24.07.2014 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने बावत निर्देश दिये गये है। जिसके संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल म0प्र0 द्वारा पत्र क्र0 / एफ–11 / 2065 भोपाल दिनांक 01.08.2014 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को ऑनलाईन प्रस्तुत एवं मॉनिटरिंग प्रारंभ किये जाने बावत कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। जिसमें उपस्थित अधिकारी / कर्मचारियों को अवगत कराया गया था कि आवेदक संस्थान सर्व प्रथम भारत शासन द्वारा जारी वेवसाईड www. forestclearance.nic.in पर ऑनलाईन हेतु नवीन प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन प्रविष्टि करेगें। (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की वेवसाईड पर ऑनलाईन प्रविष्टि के संबंध में विस्तृत जानकारी / निर्देश भी उपलब्ध है)।

ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरांत आवेदक संस्थान पंज़ीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क के साथ वनमंडलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जमा करने बावत निर्देश दिये गये है। किन्तु आपके द्वारा भारत शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत न कर सीधे हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन करने पर निम्नानुसार कमियां पाई गई। कृपया आप प्रस्ताव में कमियों की पूर्ती कर भारत शासन की वेवसाईड www. forestclearance.nic.in पर ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत इस कार्यालय में प्रस्ताव 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें, ताकि आपके प्रकरण में शासन निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रपत्र भाग–1 अपूर्ण है। जिसमें प्रभावित होने वाले वन कक्ष शामिल नही किये गये है एवं न ही प्रभावित होने वाले वनखण्डों का पूर्ण उल्लेख नही किया है, साथ ही प्रपत्र भाग–1 में आपके द्वारा हस्ताक्षर भी नही किये है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा जो नक्शे संलग्न किये गये है उनमें भी आपके हस्ताक्षर नही पाये गये व संलग्न प्रमाण पत्रों में भी आपके द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये है।

Fax:-07732-254060 E-mail :- dfonpanna@mp.gov.in
Mob.No. 9424791150 dfonorth@rediffmail.com
dfonpanna@mpforest.org

2. मानचित्र में चिन्हित डेम एवं डूब क्षेत्र में 6 वनकक्ष प्रभावित हो रहे है। जबकि आपके द्वारा जो प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है उनमें सिर्फ 5 वन कक्षों का ही उल्लेख किया गया है।
3. शासन द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव अपूर्ण है। कृपया चैक लिस्ट अनुसार पूर्ती करें।
4. भारत सरकार के पत्र क्र0/11–9/98–एफ.सी. दिनांक 08 जुलाई 2011 द्वारा जारी निर्देशानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रकरणों में Geo-referenced digital Data & Map संलग्न नही किया गया है। कृपया हार्ड एवं साफ्ट कॉपी संलग्न करें।
5. प्रमुख सचिव वन एवं जल संसाधन विभाग म0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 05.06.2014 को दिये गये निर्देशानुसार आपके द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रदत्त वन अधिकार पत्रों में दर्ज भूमि को प्रभावित होने वाली भूमि में शामिल नही किया गया है। कृपया प्रभावित होने वाली भूमि में शामिल कर प्रस्ताव तैयार करें)।

अतः आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मूलतः पूर्ती हेतु वापसं किया जाता है। कृपया शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्ती उपरांत ऑनलाईन प्रविष्टि कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ.एस.के. गुप्ता)
वनमंडलाधिकारी,
उत्तर वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पृ0क्र0/मा0चि0/2014/5746 पन्ना,दिनांक 3/9/2014

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(डॉ.एस.के. गुप्ता)
वनमंडलाधिकारी,
उत्तर वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

सं-9 (49)

कार्यालय–कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

E-Mail :- waterpanna@gmail.com, Phone & Fax :- (07732) 252075

पत्र क्र0 1551 / कार्य / 2014 पन्ना दिनांकः– 27/8/14

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल पन्ना,
जिला पन्ना (म0प्र0)

विषय :– पन्ना जिले के अजयगढ विकासखण्ड अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना का वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत।

———000———

पन्ना जिले के विकासखण्ड अजयगढ़ अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 404.08 हेक्टयर वनभूमि का प्रस्ताव तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र :– वन प्रस्ताव 01 प्रति में।

(ए0के0 जैन)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

पत्र क्र0 / कार्य / 2014 पन्ना दिनांकः–

प्रतिलिपि :– अनुविभागीय अधिकारी सिंहपुर बैराज क्र0–2 अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

हस्ता0

(ए0के0 जैन)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी पन्ना (उ.) वन मण्डल
4063
02-9-14

सं. 10

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION PANNA (M.P.)

Memo No 1307 /SAC(T) Panna dated 9/5/2013

To,

M/s U.B.V. Infrastructures Ltd.
A-22 Surya Apartment, Katora Talab
Civil Line, Raipur, Chhattishgarh- 492001

Sub- The work of Construction of Earthen Dam of Earth work on bund with watering ,Excavation and filling of cut of trench ; construction of boulder toe and filter blanket, Open drains, chipping, pitching and toe wall, Moorum , topping , turfing , including Nalla closure etc. of Majhgaon tank (System No.3580)P.A.C. AG. No.0.3..of 2013-14

Ref- 1- N.I.T. No 106/2012-13/E-in-C/E-Tendering Bhopal Dated 10.1.2013 System No. 3580

2-म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल भोपाल का पत्र क्रमांक सीबी/31/नि/2515/2013/344/भोपाल दिनांक 22 अप्रैल 2013

3-This office memo No. 1158/SAC(T)/Panna dated 29-4-2013

-----0-----

Your above tender for the above work is accepted vide this office Memo No 1158/SAC(T)/Panna date 29.4.2013.You have also signed the agreement on dt. 9.5.2013 .Please the start the work immediately with consultation of S.D.O. Singhpur Bairaj Sub Division No.2 Ajaigarh and completed the same with in 24 (Twenty Four) months including rainy season from the date of issuing of work order as per construction Programme.

The date of start of work will be treated the date of issue of work order.

Encl- Copy of Agreement

9/5/13

Executive Engineer
Water Resources Division Panna

Endt No SAC/Panna dated

Copy forwarded to –

1- The C.E. D.K.Basin sagar (M.P.) for information.
2- The S.E.W.R.Circle Chhatarpur (M.P.) For information.
3- S.D.O. Singhpur Bairaj Sub Division No.2 Ajaigarh for information. and necessary action.
4- The Auditor Singhpur Bairaj Sub Division No.2 Ajaigarh division office.Panna (M.P.) for information. and necessary action.

Sd/-

Executive Engineer
Water Resource Division Panna

सं-11

(3)

IX-(a)—2
For Hindi

(भाग दूसरा)

FOCR No 16
9/7/15

मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

1513

वकुआ जुर्म की अब्बल रिपोर्ट

नम्बर रिपोर्ट 1513/8 तारीख 9 माह 7 सन 2015

2. मुजरिम का नाम, जाति और सकूनत ① राहुल सिंह (U.B.N.) स्टाफ (कंपनी रायपुर) नि. बलिया (बिहार) ② बृजेश गुप्ता उपमंत्री सिंहपुर बैराज उप संभाग 2 आयाम

3. किस्म जुर्म भा० व० अधि० 1927 की धारा 33 पार्श

4. जगह जहां जुर्म वाके हुआ बीट बरठोला P-188, 189

5. तारीख वकुआ जुर्म 8 मार्च

6. तफसील जप्त शुदा माल और कार्यवाही, जो अमल में लाई गई। मिट्टी बंड 150 मी. एवं 98 मी. 10×1.0 मी. = [illegible]

7. नाम गवाहान ① सुखलाल S/o [illegible] कोडर [illegible]
② बैजनाथ आ. माधोसिंह [illegible] [illegible]

दूसरा भाग रेंज असिस्टेंट साहब कुंवरपुर सर्किल को भेजा गया

तीसरा भाग रेंज आफिसर साहब [illegible] रेंज को भेजा गया

Sharma
दस्तखत फारेस्ट गार्ड

मुकाम बरठोला

तारीख 9/7/2015 नाका बरठोला

नोट : यह रिपोर्ट जुर्म मालूम होने के 48 घंटे के अंदर बमूजिब पैरा 77 (अ) (3) फारेस्ट मैनुअल भाग 1 के असिस्टेंट आला आफिसर के पास भेज दी जानी चाहिए।

(भाग दूसरा)

Fxu-2 मोहक्मा जंगल, मध्यप्रदेश

1513 सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं [illegible]

[illegible] पेशा

साकिन [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

का हूं। [illegible]

जो कि जंगल आफिसर [illegible] ने तफ़सील माल नीचे लिखे मुताबिक जेर दफा 52 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सन् 1927 ई. के जप्त किया है, वो मेरे सुपुर्द आज तारीख 9/7/2015 सन् 200 ई. को किया है। मैं इस करारनामे के बमूजिब उस माल को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूं कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई आफिसर जंगल तलब करे फौरन पेश करूंगा।

[illegible]

तफसील माल सुपुर्दशुदा

[illegible]

तारीख 9 माह 7 सन् 2015 ई.

दस्तखत या निशान बायां अंगूठा सुपुर्ददार का।

नाम गवाह जिसके रूबरू सुपुर्द किया गया :—

(1) [illegible]

(2) [illegible]

शाक्षेमुवा-180-फार्म्स-10-6-2005-1,700 बुक्स × 25 पृष्ठ

सं-12

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र–अजयगढ़

क्रमांक / 132 दिनांक / 10/2/2016

प्रति,

वनमंडलाधिकारी महोदय
उत्तर पन्ना वनमंडल

द्वारा :– उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल विश्रामगंज

विषय :– वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1513/18 दिनांक 19.07.2015 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बरकोला बीट के कक्ष क्र0 P-188 एवं P-189 का स्थल निरीक्षण किया एवं पाये गये अवैध उत्खनित गड्डे की नाप की गई। एवं हानि की गणना की गई जो निम्नानुसार हैं –

गड्ड का साईज– 98मी0×10मी0×1.0मी0	= 980 घ0मी0
वनोपज की कीमत– 980घ0मी0 @ 395 प्र0घ0मी0.	= 387100.00
वनोपज की कीमत का दोगुना– 387100×2	= 774200.00
योग :–	11,61,300.00

अतः निवेदन है कि संबंधित एजेंसी से रु.11,61,300.00वसूल करने का आदेश पारित करने कि कृपा करे।

(एस0एस0चौहान)
वन परिक्षेत्राधिकारी
अजयगढ़

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी विश्रामगंज
पन्ना (म.प्र.)
क्रमांक 193 दिनांक 11/02/2016

मूलतः वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मण्डल पन्ना की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल विश्रामगंज

क्र. 258
11/02/2016

आ.क्र. 782
दि. 15/2/1

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर पन्ना (म.प्र.)
18/2

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल पन्ना (म0प्र0)

पता – डायमण्ड चौराहा जगात चौकी, पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.) पिन : 488001
E-Mail :-dfonpanna@mpforest.gov.in Fax & Phone :- 07732-252029

क्रमांक / मा0चि0 / 2016 / 684 पन्ना,दिनांक 13/4/16
प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर म0प्र0

विषय :– **पन्ना जिले के अन्तर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हे0 वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0 / मा0चि0 / 2016 / क्यू–1 छतरपुर दिनांक 05.04.2016

-----00-----

विषयांतर्गत निवेदन है कि सदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पृ0क्र0 / 312 दिनांक 03.02.2016 में उल्लेखित बिन्दु क्र0–4 जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा वन कक्ष क्र0पी–188 में बिना पूर्व अनुमति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0–1513 / 08 दिनांक 09.07.2015 में की गई कार्यवाही के संबंध में चाही गई जानकारी ऑनलाईन अपलोड किये जाने के उपरांत हार्ड कॉपी में 04 प्रतियों में संलग्न अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 2016 / 685 पन्ना, दिनांक 13/4/16
प्रतिलिपिः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर वनमंडल पन्ना (म.प्र.)